प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक : एन0ओ0सी0/ 2877-83 /2011–12 दिनांक 24/6/2011

विषयः– सेंट मेरीज कान्वेन्ट स्कूल सोना तालाब वाराणसी सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :–

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयो में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियो का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियो की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।
6. कर्मचारियो की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।
7. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

Scanned with CamScanner

9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/ परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(ओ0पी0 द्विवेदी)
सचिव, मण्डलीय समिति/
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

पृ0सं0/एन0ओ0सी0/ 2877-83 /2011–12 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. आयुक्त, वाराणसी मण्डल वाराणसी।
3. शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0 लखनऊ।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी।
5. निरीक्षक,आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
6. प्रबन्धक, सेंट मेरीज कान्वेन्ट स्कूल सोना तालाब वाराणसी।
7. गार्ड फाइल हेतु।

(ओ0पी0 द्विवेदी)
सचिव, मण्डलीय समिति/
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

Scanned with CamScanner

सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नयी दिल्ली से सम्बद्धता हेतु आयुक्त वाराणसी मण्डल की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु वाराणसी जनपद में स्थिति सेंट मेरीज कान्वेन्ट स्कूल सोनातालाब वाराणसी के आवेदन पत्र पर संयुक्त शिक्षा निदेशक,वाराणसी मण्डल वाराणसी (सचिव) का स्थलीय निरीक्षण/जाँच आख्या :–

शुल्क जमा करने की तिथि – 05–12–2009
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि – 15–02–2010
स्थलीय निरीक्षण की तिथि – 13–08–2010

1.	आवेदन शुल्क	विद्यालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क रू0 10,000 दिनांक 0512.09 को भारतीय स्टेट बैंक वाराणसी में जमा किया गया है
2.	सोसाईटी का पंजीकरण	विद्यालय सोसाइटी रजिस्टेशन अधिनियम 21,1860 के अन्तर्गत क्वीन आफ अपास्लोस एजूकेशन सोसाइटी वाराणसी कैंट के नाम पंजीकृत है, के द्वारा संचालन किया जाता है।
3.	विद्यालय का स्वरूप तथा शिक्षण सत्र	सह शिक्षा के रूप में अंग्रेजी माध्यम से संचालित किये जाने की व्यवस्था है। इसके साथ अनिवार्य विषय के रूप में हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था की गयी है।
4.	छात्र संख्या का विवरण	विद्यालय में कक्षा–1 से 07 तक बालक–518 एवं बालिका–332 कुल छात्र संख्या 850 का उल्लेख है।

निरीक्षण के समय छात्र उपस्थिति

कक्षा	1	2	3	4	5	6	7	
बालक	70	80	72	75	52	48	42	– 439
बालिका	51	47	52	38	41	28	37	– 294
							योग– 733	

5.	शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियो का विवरण	विद्यालय में 01 प्रधानाचार्य एवं 26 स0अ0 अध्यापक, 01 लिपिक तथा 05 परिचारक कार्यरत है। विद्यालय में 15 अध्यापक प्रशिक्षित है।
6.	सेवा नियमावली	कर्मचारियो की सेवा नियमावली तैयार की गयी है जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया है। अध्यापको एवं कर्मचारियो की सेवाएं निर्मित सेवा नियमावली के तहत व्यवहृत की जाती है।
7.	भूमि एवं भवन	विद्यालय भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार सदर वाराणसी द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि विद्यालय के पास खाता सं0 344 आ0नं0 54 रकबा 0.3680 हे0 व खाता सं0 86 आराजी नं0 1/3 रकबा 0. 1540 हे0 सेंट मेरीज कान्वेन्ट शहर वाराणसी के नाम दर्ज है। विद्यालय में मानक के अनुसार 01 प्रधानाचार्य कक्ष, 01 कार्यालय कक्ष, 01 पुस्तकालय कक्ष,01 कामन रूम और 25 शिक्षण कक्ष तथा 03 प्रयोगशाला कक्ष, 01 पुस्तकालय, 01 कम्पूटर कक्ष निर्मित है।

Scanned with CamScanner

		विद्यालय में बालक/बालिकाओ के लिए अलग–अलग शौचालय की व्यवस्था की गयी है। (तहसीलदार की आख्या संलग्न है।)
8.	कीडा स्थल	निरीक्षण के दौरान कीडा उपकरण उपलब्ध पाये गये, कीडा स्थल उपयुक्त पाया गया।
9.	पुस्तकालय	विद्यालय में पुस्तकालय कक्ष निर्मित कराया गया है जिसमें छात्र/छात्राओ को बैठककर अध्ययन करने की व्यवस्था की गयी है। विद्यालय में वर्तमान समय में पर्याप्त मात्रा में पुस्तके उपलब्ध है। पुस्तको के रख रखाव हेतु विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में स्टील एवं शीशे लगी हुयी आलमारिया उपलब्ध है। आवश्यकतानुसार पुस्तको को कय किये जाने का प्राविधान विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रति वर्ष किया जाता है।
10.	विज्ञान प्रयोगशाला	विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला में भौतिक विज्ञान,रसायन विज्ञान,जीव विज्ञान से सम्बन्धित समस्त उपकरण एवं सामाग्री स्थापित है एवं उनकी सुरक्षा का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। विज्ञान उपकरण की सूची संलग्न है।
11.	लेखन/शिक्षण सामग्री	विद्यालय में शिक्षण सामग्री की व्यवस्था पर्याप्त रूप में व्यवस्था की गयी है। जिसका उपयोग विद्यालय के अध्यापक/छात्र/छात्राओ द्वारा शिक्षण एवं पठन–पाठन के समय किया जाता है विद्यालय में कम्प्यूटर, पिन्टर, ग्लोब चार्ट, ब्लैक बोर्ड, अन्य सामाग्रीयो को विद्यालय में शिक्षण कार्य में प्रयोग किया जाता है जिसके रख रखाव की व्यवस्था भी विद्यालय स्तर पर समुचित रूप से की जाती है।
12.	शुल्क विवरण	विद्यालय में प्रतिमाह की दर से ली जाने वाली शुल्क जिसमें कक्षावार शुल्क का विवरण आवेदन पत्र के साथ संलग्न है।
13.	चिकित्सा सुविधा	विद्यालय के छात्र/छात्राओ के आकस्मिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु फर्स्ट एड बाक्स की व्यवस्था एवं तत्कालिक उपचार से सम्बन्धित सामाग्रियो की व्यवस्था की गयी है, जिसका उपयोग छात्र/छात्राओ के उपचार हेतु किया जाता है।
14.	मनोरंजन सामग्री	विद्यालय में मनोरंजन के लिए पर्याप्य मात्रा में मनोरंजन सामग्री की व्यवस्था की गयी है, जिसे समय समय पर बच्चो का मनोरंजन किया जाता है।
15.	विद्यालय कर्मचारियो की ई0 पी0 एफ0 योजना	विद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियो के लिए सामूहिक बीमा एवं ई0पी0एफ0 योजना लागू है।

Scanned with CamScanner

16.	अग्नि सुरक्षा/भूकम्प रोधी व्यवस्था	विद्यालय में अग्नि शमन यंत्र प्रमाण पत्र संलग्न है। उक्त के अतिरिक्त भूकम्परोधी (नेशनल बिल्डिंग कोड) प्रमाण पत्र राधा कृष्ण एण्ड एसोसियट जो बी0डी0ए0 द्वारा पंजीकृत होने का उल्लेख है, उनके द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है जो संलग्न है।

विद्यालय के स्थलीय निरीक्षण के समय विद्यालय का अनुशासन/प्रशासन अच्छा पाया गया। विद्यालय में साफ–सफाई एवं हरियाली का पूरा ध्यान रखा गया था। विद्यालय में शिक्षको द्वारा अपनी अपनी कक्षा में शिक्षण कार्य करते पाये गये एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी पर पाये गये। विद्यालय के अनुशासन/प्रशासन से स्पष्ट होता है कि विद्यालय में समय से समस्त अध्यापक/कर्मचारी अपने दायित्वो का निर्वहन करते है विद्यालय के अनुशासित छात्र अपने अपने कक्षा में बैठकर अध्ययन करते पाये गये इससे स्पष्ट है कि विद्यालय में पठन–पाठ्न का माहौल उत्तम है।

अस्तु विद्यालय से प्राप्त आवेदन पत्र को अग्रसारित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

(ओ0पी0 द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

5

Scanned with CamScanner